तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>निगरानी/टी.ए./5055/2003/ भीलवाडा</u>** **दौलतराम बनाम अमीचन्द व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकल पीठ

श्री धूकलराम कसवाँ सदस्य

उपस्थित

श्री के.के.पुरोहित अभिभाषक प्रार्थी

श्री जगदम्बा प्रसाद अभिभाषक अप्रार्थी

<u>निर्णय</u>

दिनांकः- 14-8-2018

यह निगरानी उपखण्ड अधिकारी बनेडा के आदेश दिनांक 23-9-2003 के विरूद्ध राज0 काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 230 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि पक्षकारों के मध्य नियमित वाद विचारण न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। दौराने वाद दिनांक 24-6-2003 को प्रार्थी के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। जिसको निरस्त करने बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसे विचारण न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 23-9-2003 के द्वारा खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर यह निगरानी मण्डल के समक्ष पेश की गई है।

उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत मंसूख करने एकतरफा कार्यवाही केवल मात्र इस आधार पर अस्वीकार कर दिया कि प्रार्थी द्वारा पूर्व में भी उसके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत मंसूख करने एकतरफा कार्यवाही जो दिनांक 18-10-2000 को स्वीकार किया गया था में भी अपनी पत्नी का देहान्त होना बताया था तथा इस द्वितीय प्रार्थना पत्र में भी अपनी पत्नी का देहान्त होना बताया है। इस कारण सन्देहास्पद होने से एकतरफा कार्यवाही को निरस्त नहीं किया जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय का यह तर्क पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>निगरानी/टी.ए./5055/2003/ भीलवाडा</u>** **दौलतराम बनाम अमीचन्द व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

के पूर्ण विपरीत है। क्योंकि प्रार्थी के विरूद्ध पूर्व में जो एकतरफा कार्यवाही हुई थी वह उनके अभिभाषक द्वारा हिदायत पैरवी नहीं होने के कारण की गई थी। यदि प्रार्थी के विरूद्ध की गई एकतरफा कार्यवही को निरस्त कर वाद कार्यवाही में सुनवाई का मौका नहीं दिया गया तो वह अपने हितों की रक्षा नहीं कर सकेगा न ही साक्ष्य सबूत पेश करने एवं क्रास एक्जामिन करने का अवसर प्राप्त कर सकेगा। अपने कथन के समर्थन में 2017(4) डी एन जे राज.पेज 1562, 2011–12 आर आर टी पेज 215,2012(1) आर आर टी पेज 575, 2007(2) आर आर टी पेज918, आर आर डी 2004 पेज 544, आर बी जे(5)1998 पेज 158 की नजीरें पेश की।

जबाब में अप्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी मण्डल के समक्ष पोषनीय नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी के विरूद्ध की गई एकतरफा कार्यवाही को निरस्त करने हेतु प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को खारिज किया है। अपने कथन के समर्थन में आर आर डी 1984 पेज 382 एवं 409 की नजीरें पेश की।

हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का भी बारीकी से अध्ययन किया।

जहां तक विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी की इस दलील का प्रश्न है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध मण्डल के समक्ष निगरानी पोषनीय नहीं है, हम विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी के इस तर्क से सहमत नहीं है। आक्षेपित आदेश के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी प्रतिवादी के विरूद्ध की गई एकतरफा कार्यवाही को निरस्त करने हेतु प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को खारिज किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश के विरूद्ध अपील संधारण योग्य नहीं है। इसलिये जिस आदेश के विरूद्ध अपील संधारण योग्य नही है उसके विरूद्ध अधिनियम की धारा 230 के अन्तर्गत निगरानी संधारण योग्य है। जैसा कि आर बी जे(5)1998 पेज158 में सिद्धान्त

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>निगरानी/टी.ए./5055/2003/ भीलवाडा</u>** **दौलतराम बनाम अमीचन्द व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

प्रतिपादित किया गया है जिसमें यह प्रावधित किया गया है कि –

<u>RBJ (5) 1998 page 158</u>

Rajasthan Tenancy Act, 1955-Section 230- Where no appeal lies to the Board of Revenue, revision is maintainable- Under Section 230 the aggrieved person can file a revision petition before the Board of Revenue where no appeal lies before the Board of Revenue

विचारण न्यायालय के समक्ष प्रार्थी प्रतिवादी दौलतराम पिता श्री छोगा ने उसके विरूद्ध की गई एकतरफा कार्यवाही को निरस्त कराने के लिये जो प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है उसमें आदेश 9 नियम 9 जाब्ता दीवानी अंकित किया गया है। लेकिन प्रतिवादी की ओर से एकतरफा कार्यवाही को निरस्त कराने हेतु जों प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है वह आदेश 9 नियम 7 जाब्ता दीवानी की परिधि में आता है। इसलिये प्रतिवादी के विरूद्ध की गई एकतरफा कार्यवाही को निरस्त कराने हेतु जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है वह आदेश 9 नियम 7 कीपरिधि में आने से उसकी निगरानी मण्डल के समक्ष संधारण योग्य है।

पक्षकारों के मध्य नियमित वाद विचारण न्यायालय में विचाराधीन है। प्रार्थी प्रतिवादी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर दिया गया है लेकिन उसके द्वारा अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं करने से उसके विरूद्ध दिनांक 24–6–2003 को एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। जिसको निरस्त करने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र भी खारिज कर दिया। प्रार्थी अपना पक्ष प्रस्तुत करने में उदासीन रहा है। लेकिन विचाराधीन वाद अधिनियम की धारा 88,89एवं 188 के अन्तर्गत है। यदि प्रार्थी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का मौका नहीं दिया जाता है तो उसके हितों पर कुठाराघात होने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। इस स्थिति में न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्त को दृष्टिगत रखते हुये प्रार्थी को एक अवसर दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः निगरानी 1000/–रूपये (अक्षरे एक हजार रूपये)हर्जाने पर सशर्त स्वीकार की जाकर निगराधीन आदेश निरस्त किया जाता है। प्रार्थी को अपना प्रस्तुत करने हेतु एक अन्तिम अवसर प्रदान किया

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>निगरानी/टी.ए./5055/2003/ भीलवाडा</u>** **दौलतराम बनाम अमीचन्द व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	जाता है। उभय पक्षकारान को विचारण न्यायालय के सक्षम दिनांक 30–8–2018 को उपस्थित रहने के लिये पाबन्द किया जाता है। हर्जाने की राशि प्रार्थी अप्रार्थी पक्ष को विचारण न्यायालय के समक्ष निर्धारित तारीख पेशी पर अदा करेंगे। प्रार्थी को निर्देश दिये जाते हैं कि वे निर्धारित तारीखपेशी पर विचारण न्यायालय के समक्ष हर्जाने की राशि अप्रार्थी को अदा कर अपना पक्ष प्रस्तुत कर दें। निर्धारित तारीख पेशी पर अपना पक्ष प्रस्तुत करने में असफल रहने पर विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश बहाल माना जावेगा। प्रकरण काफी पुराना हो चुका है। इसलिये विचारण न्यायालय के पीठासीन अधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि वह प्रकरण में दिन प्रतिदिन की तारीख पेशी नियत कर प्रकरण का अधिकतम तीन माह के अन्दर विधि अनुसार निस्तारण करें। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(धूकलराम कसवाँ)** **सदस्य**	

तारीख़ हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>निगरानी/टी.ए./5055/2003/ भीलवाडा</u>** **दौलतराम बनाम अमीचन्द व अन्य**	नम्बर व तारीख़ अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>निगरानी/टी.ए./5055/2003/ भीलवाडा</u>** **दौलतराम बनाम अमीचन्द व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए